न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व प्र0क्र0-384/अपील/99-2001

1- श्रीमती तेरसिया पुत्री रामजियावन सिंगरहा व पत्नी मिलन सिंगरहा निवासी कुटाई हाल निवासी गोदर तहसील नागोद जिला सतना (म0प्र0)
2- छसीटा माता स्व0 फूलमती महेश सिंगरहा निवासी कुटाई तहसील मैहर जिला सतना हाल निवासी लालपुर तहसील अमरपाटन मैहर सतना (म0प्र0)

---------- आवेदक/निगराकार

बनाम

1- रामजियावन तनय सखू सिंगरहा (फौत)
2- प्रेमबाई उर्फ प्रेमिया पत्नी पुरुषोत्तम सिंगरहा
3- पुरुषोत्तम तनय रामजियावन सिंगरहा सभी निवासी कुटाई तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0) ------ रेस्पा0/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय श्री मान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 384/अपील99--2000 में दिनांक 01-04--2006 को पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है :-

1- यह कि मृतक रेस्पा0 क्र-1 के विधि उत्तराधिकारी वारिस आवेदकगण है और आवेदकगणों के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी नही है, और विवादित आराजियात मृतक रामजियावन के द्वारा स्व0 अर्जित भूमियां नही है, बल्कि आवेदकगण के पूर्वजो के द्वारा स्व0 अर्जित भूमियां है, जिसमें ये भूमियां आवेदकगण की पैत्रिक भूमियां हुई रेस्पा0 क्रमांक -1 के मृत्यु के बाद विवादग्रस्त भूमियों के हिन्दू उत्तराधिकार

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 721–दो/06 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 384/अपील/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 1.4.2006 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि हिन्दू उत्ताधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करें। जिस पर विचारण न्यायालय ने विचारोपरांत अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। इस आदेश से दुखित होकंर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जो उनके द्वारा निरस्त की गई। इससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसमें उनके द्वारा दिनांक 1.4.06 को अपील निरस्त की। जिसके	

विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदिका के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा की सत्यता एवं असत्यता को प्रमाणीकरण का भार आवेदक के ऊपर डाला है जबकि प्रमाणीकरण वसीयतग्रीहता के ऊपर था। अनुविभागीय अधिकारी ने इससे पूर्व निर्देश दिया था कि वसीयतनामा संदिग्ध है इसलिये नामांतरण नहीं किया जा सकता है। अतः हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत आदेश पारित करने के निर्देश दिये लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया। रामजियावन वसीयत के समय बीमार थे, टी0 बी0 के मरीज थे तथा गवाहों के साक्ष्य विरोधाभासी हैं वसीयतनामा प्रमाणित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसंगत नही होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया । अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर उचित आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

4-अनावेदक को अनेक बार सूचना देने के पश्चात भी वह उपस्थिन नहीं हुये हैं।

5- आवेदिका के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। आवेदिका के अधिवक्ता के तर्कानुकम में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अनुसार एक ही तरह के आदेशों में निष्कर्ष निकाले गये हैं कि विवादित

आराजी रामजियावन की थी, तथा रामजियावन ने अपने ही जीवन काल में दिनांक 28.6.93 को वसीयत अनावेदक कमांक–2 प्रेमाबाई को करायी थी जिसमें राममित्र द्विवेदी तथा मोलई ने अपने साक्ष्य के द्वारा प्रमाणीकरण किया है । वसीयत को प्रमाणीकरण के लिये दो साक्षियों की आवश्यकता होती है और इस आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की जा सकती है । बसीयतनामा को संदिग्ध व फर्जी घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं हे उसके लिये सक्षम न्यायालय द्वारा ही उपचार प्राप्त किया जा सकता है। अतः तीनों न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्ध सत्यनारायण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वतीय अपीलीय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं,,**

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 1.4.06 स्थिर रखा जाता है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापस किये जावे।

सदस्य